न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 48/2022/अपील/एलआरएक्ट/बून्दी
दायरा दिनांकः 10.03.2022
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

नन्दा आत्मज गोपाल मु0 उद्दा जाति नाई निवासी ग्राम गरड़दा तहसील व जिला बून्दी

...अपीलांट

बनाम

1. ममता सेन पुत्री उदयलाल उर्फ उद्दा पत्नि अमृतलाल जाति नाई हाल निवासी जलेन्दरी जिला भीलवाड़ा
2. मंजु सेन पुत्री उदयलाल उर्फ उद्दा पत्नि मुगल सेन जाति नाई निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बून्दी

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री राकेश सुवालका अभिभाषक –अपीलांट
पेरोकार सरकार – रेस्पो0 क्र. 3

::निर्णय::

दिनांक 24.10.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी (संक्षेप मे प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 05/अपील/18 बउनवान ममता सैन वगे0 बनाम नन्दा वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 13.03.2020 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गरड़दा तहसील व जिला बून्दी की कृषि भूमि खात सं0 60 की खसरा संख्या 218 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा सं0 220 रकबा 17 बिस्वा, खसरा संख्या0 221 रकबा 01 बीघा 3 बिस्वा कुल किता तीन कुल रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा विस्थित है, जो उद्दा आत्मज सबोडया कोम नाई निवासी गरड़दा के नाम दर्ज थी। उद्दा की मृत्यु होने के उपरांत मृतक उद्दा की आराजीयात पर तस्दीक फौती नामांतरकरण संख्या 79 दिनांक 30.01.83 को निरस्त किये जाने हेतु रेस्पो0 क्र.1 एवं 2 द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी की यहां पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विचारण

न्यायालय का अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 79 दिनांक 30.01.83 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार बून्दी को प्रेतिप्रेषित (रिमाण्ड) कर मृतक उद्दा एवं उसके संपूर्ण विधिक वारिसान की जांच कर उनके नाम नियमानुसार नये सिरे से नामांतरकरण तस्दीक करने का निर्णय दिनांक 13.03.2020 पारित किया गया।

2 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी (संक्षेप मे प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 05/अपील/18 बउनवान ममता सैन वगे0 बनाम नन्दा वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 13.03.2020 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत द्वितीय अपील पेश करन कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून, न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 क्र0 1 व 2 का धारा 5 लिमि0 एक्ट का प्रार्थना–पत्र दिनांक 18.02.2019 को स्वीकार कर अपील को अवधि मध्य मानने में त्रुटि की है। जबकि रेस्पो0 ने अपील के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की थी एवं धारा 41 नियम 27 सीपीसी का कोई प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरंण के संबंध में की गई जांच के विपरित जाकर किया गया निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। रेस्पो0 द्वारा अपने अधिकारों के संबंध में आज तक किसी भी न्यायालय में कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस स्थिति के विपरित पारित किया गया निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। निर्णय अधीनस्थ न्यायालय पारित होने के पश्चात् कोरोना संक्रमण के मध्यनजर केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार द्वारा आवागमन पर प्रतिबंध लगाने से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सोमोटो रिट पिटीशन (सिविल) नं0 3/2020 में परिसीमा अवधि को शिथिल करते हुए समय पर निर्देश जारी किये जाने से से अपील अपीलांट अवधि मध्य मानते हुए अपील स्वीकार का निर्णय अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 13.03.2020 निरस्त फरमाया जावे।

3 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पो0 अभिभाषक एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

4 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 क्र0 1 व 2 का धारा 5 लिमि0 एक्ट का प्रार्थना–पत्र दिनांक 18.02.2019 को स्वीकार कर अपील को अवधि मध्य मानने में त्रुटि की है। जबकि रेस्पो0 ने अपील के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की थी एवं धारा 41 नियम 27 सीपीसी का कोई प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर गौर नहीं किया कि नामांतरकरण संख्या 79 दिनांक 30.01.83 के विरूद्ध रेस्पो0 1 एवं 2 द्वारा वर्ष 2016 में पेश की गई है। अत्यधिक विलम्ब के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 13.03.2020 से अपील आंशिक स्वीकार कर नामांतरकरण संख्या 79 दिनांक 30.01.83 खारिज किया गया, जो न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किये जाने के पश्चात् कोरोना संक्रमण

के मध्यनजर केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार द्वारा आवागमन पर प्रतिबंध लगाने से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सोमोटो रिट पिटीशन (सिविल) नं0 3/2020 में परिसीमा अवधि को शिथिल करते हुए समय पर निर्देश जारी किये जाने से से अपील अपीलांट अवधि मध्य मानते हुए अपील स्वीकार का निर्णय अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 13.03.2020 निरस्त फरमाया जाने का अनुरोध किया गया।

5 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्र. 1 एवं 2 पूर्व तारीख पेशी दिनांक 26.09.2024 एवं दिनांक 01.10.2024 को अनुपस्थित रहे है। अभिभाषक रेस्पो0 को आवाज दिलवायी गई, लेकिन उपस्थित नहीं होने पर प्रकरण में बहस अभिभाषक अपीलांट एकपक्षीय सुनी गई।

6 हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एक पक्षीय पर मनन किया। पत्रावली को अवलोकन करने से प्रकट होता है कि ग्राम गरड़दा तहसील व जिला बून्दी की कृषि भूमि खाता सं0 60 की खसरा संख्या 218 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा सं0 220 रकबा 17 बिस्वा, खसरा संख्या0 221 रकबा 01 बीघा 3 बिस्वा कुल किता तीन कुल रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा विस्थित है, जो उद्दा आत्मज सबोडया कोम नाई निवासी गरड़दा के नाम दर्ज थी। उद्दा की मृत्यु होने के उपरांत मृतक उद्दा की आराजीयात पर तस्दीक फौती नामांतरकरण संख्या 79 दिनांक 30.01.83 को निरस्त किये जाने हेतु रेस्पो0 क्र.1 एवं 2 द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी की यहां पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय का अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 79 दिनांक 30.01.83 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार बून्दी को प्रेतिप्रेषित (रिमाण्ड) कर मृतक उद्दा एवं उसके संपूर्ण विधिक वारिसान की जांच कर उनके नाम नियमानुसार नये सिरे से नामांतरकरण तस्दीक करने का निर्णय दिनांक 13.03.2020 पारित किया गया। प्रकरण में अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर गौर नहीं किया कि नामांतरकरण संख्या 79 दिनांक 30.01.83 के विरूद्ध रेस्पो0 1 एवं 2 द्वारा वर्ष 2016 में अपील अत्यधिक विलम्ब से पेश की गई है। इसके उपरांत भी अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 13.03.2020 से अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 79 दिनांक 30.01.83 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार बून्दी को प्रेतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया गया। उपरोक्त विवेचनानुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी द्वारा आदेशिका दिनांक 18.02.2019 से प्रकरण में मियाद के बिन्दु पर ही अपील को निर्णित किया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुरूप नहीं मानते हुए संपूर्ण तथ्यों का विवेचन किया जाकर कानून सम्मत प्रतीत होने से प्रश्नगत प्रकरण को गुणावगुण पर ही निस्तारित करते हुए निर्णय दिनांक 13.03.2020 पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा खोला गया नामांतरकरण संख्या 79 दिनांक 30.01.83 पटवारी हल्का के द्वारा रिपोर्ट अनुसार उद्दा के फौत होने तथा उसकी बेवा को दूसरी जगह बैठ जाने (अन्यत्र चले जाने) व उद्दा की फाग भाई के लड़के नन्दा के बंधने संबंधी रिपोर्ट एवं ग्रामवासियान के कथनानुसार ही

उद्दा की प्रश्नगत आराजीयात का नामांतरकरण ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि नामांतकरण संख्या 79 दिनांक 30.01.83 खोले जाने से पूर्व मृतक खातेदार उद्दा के विधिक वारिसान की जांच नहीं की गई। जबकि प्रकरण में विचारण न्यायालय को यह आवश्यक था कि मृतक खातेदार उद्दा के समस्त विधिक वारिसान की की जांच कर फौती इन्तकाल तस्दीक किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी द्वारा भी प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा नामांतरकरण तस्दीक करते समय संपूर्ण तथ्यों की जांच नहीं किये जाने से उक्त नामांतरकरण सं0 79 दिनांक 31.01.1983 को न्यायोचित नहीं मानते हुए निर्णय दिनांक 13.03.2020 से रेस्पो क्र.1 ममता एवं रेस्पो0 क्र. 2 मंजू की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार बून्दी को प्रतिप्रेषित किया जाकर मृतक उद्दा एवं उसके संपूर्ण विधिक वारिसान की जांच कर उनके नियमानुसार नये सिरे से नामांतकरण तस्दीक किये जाने का निर्णय दिनांक 13.03.2020 पारित करते हुए नामांतरकरण सं0 79 दिनांक 31.01.1983 खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से अपील प्रकरण में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी (प्रथम अपीलीय न्यायालय) का निर्णय दिनांक 13.03.2020 न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

7 निर्णय आज दिनांक 24.10.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

24/10/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा

अति. स. आयुक्त
कोटा